



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website: www.kvsangathan.nic.in

दिनांक: 05.05.2015

फ.11029-06/2013-KVS(HQ)/(Admn-I)/Vol. II

22/09
कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 04.03.2014 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 54 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है।

चूंकि निम्नलिखित 03 केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है अतः नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नये केन्द्रीय विद्यालय निम्नलिखित स्थानों पर प्रारंभ करने के लिए आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	सीरिसिला, जिला करीम नगर (तेलंगाना)	C/o एमपीपीएस विद्यालय, सुभाषनगर, सीरिसिला, जिला करीम नगर, (तेलंगाना)-505301
2	कोट्टायम कुडुर्यी जिला कोट्टायम (केरला)	C/o सीआईएसएफ कॉम्प्लेक्स, एचएनएल परिसर, न्यूज प्रिंट नगर, पोस्ट ऑफिस वेल्नूर, जिला कोट्टायम, केरला-686616
3	उडुपी जिला उडुपी	C/o राजकीय हाई स्कूल, मलपे वाडाभनदेशवारा, पोस्ट ऑफिस मलपे, जिला उडुपी, (कर्नाटक)-576108

उपर्युक्त तीनों केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा सत्र 2015-16 के दौरान प्रारंभ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

H. Vijayaraj
(डॉ. वि. विजयलक्ष्मी)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

वितरण:

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमैन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- आयुक्त, के.वि.सं के निजी सचिव
- अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) के.वि.सं के निजी सचिव
- उपायुक्त, के.वि.सं. के. का. हैदराबाद / एरनाकुलम/ बंगलोर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के. वि. को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि ये स्कूल जिन निर्वाचन क्षेत्रों में आते हैं उनके नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे
- प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) तेलंगाना सरकार/ केरला सरकार/ कर्नाटक सरकार।
- जिला कलेक्टर, करीम नगर, (तेलंगाना), कोट्टायम (केरला) एवं उडुपी (कर्नाटक)।
- अधिक्षण अभियंता के.वि.सं को दि. 15.05.15, 07.05.15 एवं 20.05.15 के उनके नोट के संदर्भ में
- के.वि.सं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग
- उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय
- निदेशक, के.वि.सं. समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान
- उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
- अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ
- गार्ड फाइल।
